न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./87/2018/बाड़मेर

अपीलांट

1. हेमसिंह पुत्र पबसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी दरूड़ा तहसील दरूड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.समदा कंवर पत्नी खीमसिंह उम्र 70 वर्ष
2.कंवराकंवर पत्नी भीमसिंह उम्र 75 वर्ष जातियान राजपूत निवासीयान दरूड़ा ग्राम पंचायत मारूड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
3.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2016 बअनवान हेमसिंह बनाम समदाकंवर वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश नारायण रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 04.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया कि मौजा दरूड़ा पटवार हल्का मारूड़ी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 67 रकबा 53.10 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 188 रकबा 58.04 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल तीन खसरे कुल रकबा 112.06 बीघा कुल लगान 10.19 बीघा की स्थित हैं। जो वादी एवं प्रतिवादी के पैतृक पुरूष सोहनसिंह से इनको प्राप्त हुई थी। जिसके बाद वादग्रस्त आराजी सोहनसिंह के चार पुत्रों पबसिंह, भीमसिंह, खीमसिंह व जवाहरसिंह के नाम दर्ज हुई। जवाहरसिंह के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं था। जवाहरसिंह की देखभाल व सेवा चाकरी अपीलांट ही करता था क्योंकि उतरदाता संख्या 01 व 02 के कोई जांयदा पुत्र नहीं था। जवाहरसिंह ने अपने जीवन काल में वादी/अपीलांट हेमसिंह को गोद ले रखा था एवं प्रचलित रीति अनुसार गोद लिया था। जवाहरसिंह ने अपीलांट के पक्ष में अपनी 1/4 हिस्से की भूमि वसीयत में लिख दी जिसकी लिखत दिनांक 30.03.1995 को मौजिज लोगों के रूबरू निष्पादित की एवं मौजित लोगों ने उपस्थित लोगों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर है। जवाहरसिंह फौत होने पर वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण संख्या 306 पटवारी ने बिना कोई जांच किये गलत रूप से पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांट/वादी 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है एवं खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी हेतु एवं प्रतिवादी संख्या 01 के जबाव में नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2018 को प्रतिवादी पक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ था एवं न ही किसी ने आदेश 07 नियम 11 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कर सकें न ही इस सम्बंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी हेतु एवं प्रतिवादी संख्या 01 के जबाव में नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2018 को प्रतिवादी पक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ था एवं न ही किसी ने आदेश 07 नियम 11 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कर सकें न ही इस सम्बंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कौर्ट मारूड़ी में पारित किया गया है जबकि कैम्प कोर्ट में राजीनामे एवं आपसी सहमति के आधार पर मामले का निस्तारण करने की राज्य सरकार की मंशा थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा बहस में Res judicata का जिक्र नहीं है न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को क्षेत्राधिकार में मानकर दर्ज किया तथा बिना सुनवाई का मौका दिये खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण की प्रक्रिया को

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपनाते हुए निस्तारण नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु कैम्प मारूड़ी में रखी गई थी। न्यायालय कैम्प कौर्ट में भी राजीनामा के अलावा भी न्यायोचित आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर सकता है। जवाहरसिंह की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 15.03.2006 को पारित किया था उस समय वादी हेमसिंह ने कोई आपति या एतराज नहीं किया था। राजस्व वाद संख्या 235/2007 कंवराकंवर बनाम हुकमसिंह में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में म्युटेशन संख्या 519 दिनांक 03.06.2016 को पारित किया था। उक्त वाद में हेमसिंह (अपीलांट)प्रतिवादी संख्या 02 था, जिसने उक्त वाद में किसी प्रकार का ऐतराज या आपति वसीयत के आधार पर नहीं उठाई थी। अपीलांट द्वारा वाद संख्या 235/2007 के तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया था क्योंकि अपीलाधीन मामले का पश्चातवर्ती वाद प्राड़ न्याय सिद्धांत सेक्शन 11 सी पी सी अनुसार वर्जित है तथा वसीयत के आधार पर घोषणा करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को होता है। अपीलांट द्वारा मामले को लंबा करने की नियत से अपील पेश की गई जबकि वास्तविक तथ्यों से अपीलांट स्वयं परिचित है। अपीलांट का वाद एक मिथ्या कूटरचित, अपजीकृत वसीयत को आधार बनाते हुए प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

AIR 2010 SC Page 818
AIR 2003 SC Page 759
AIR 2002 CALCUTTA HC Page 247

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट प्रशासन गांवों के संग अभियान में आगामी दिनांक लेने के लिये गये थे एवं पीठासीन अधिकारी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर आगामी दिनांक देने का कहकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी अपीलांट द्वारा कैम्प सामाप्ति के पश्चात जब प्रकरण की आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख के बारे में पूछा तो रीडर द्वारा दिनांक 13.07.2018 को बताया कि प्रकरण को कैम्प में खारीज कर दिया हैं तब अपीलांट द्वारा दिनांक 13.07.2018 को नकल हेतु आवेदन किया जिस निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 26.07.2018 को अपीलांट को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट द्वारा सम्यक तत्परता एवं सद्भावना से तुरन्त ही अपील जानकारी से 2 माह की अवधि के भीतर पेश की गई है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी एवं 01 के जबाव में विचाराधीन था। कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मारूड़ी में दिनांक 15.05.2018 को अपीलांट/वादी स्वयं एवं मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुए अपीलांट/वादी के अधिवक्ता ने जबाव हेतु अवसर चाहते है अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2018 को रेस्पोडेंटगण उपस्थित ही नहीं हुऐ थे एवं न ही किसी पक्षकार ने आदेश 07 नियम 11 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कर सकें न ही इस सम्बंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट मारूड़ी में पारित किया गया है। कैम्प कोर्ट में राजीनामे एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है एकपक्षीय निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित करना

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2016 बअनवान हेमसिंह बनाम समदाकंवर वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष दिनांक 26.12.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

04/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner